झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग

सं0सं0–परि०वि०–145 / 2007 (पार्ट)– 1739 राँची, दिनांक –10/11/2022

।। आम सूचना ।।

झारखण्ड मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2022 के विचारार्थ प्रारूप पर आपत्ति आमंत्रण हेतु

परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा झारखण्ड मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2022 के प्रारूप पर प्रभावित व्यक्तियों से आपत्ति / सुझाव आमंत्रित करने की कार्रवाई की जा रही है। उक्त नियमावली का प्रारूप विभागीय **वेबसाईट www.jhtransport.gov.in** पर Upload किया जा चुका है।

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि झारखण्ड मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2022 के प्रारूप पर प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर प्रभावित व्यक्ति अपना आपत्ति / सुझाव से संबंधित आवेदन परिवहन विभाग के **ईमेल–transport.jhr@gmail.com** के माध्यम से अथवा परिवहन विभाग, एफ०एफ०पी० भवन, एच०ई०सी० कैम्पस, धुर्वा, राँची में समर्पित कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए विभागीय वेबसाईट www.jhtransport.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है।

Manoj 10/XI/22
(मनोज कुमार)
उप सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक– परि०वि०–145 / 2007(पार्ट)–1739 राँची, दिनांक – 10/11/2022

प्रतिलिपि:–नोडल पदाधिकारी, परिवहन विभाग को राज्य के दैनिक अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

Manoj 10/XI/22
उप सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक– परि०वि०–145 / 2007(पार्ट)– 1739 राँची, दिनांक – 10/11/2022

प्रतिलिपि:–निर्गत शाखा / पी०एम०यू० कोषांग, परिवहन विभाग को विभागीय वेबसाईट एवं सूचनापट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

Manoj 10/XI/22
उप सचिव
परिवहन विभाग।

झारखण्ड सरकार

परिवहन विभाग

सं0सं0–परि०वि०–145/2007 (पार्ट)– 1737 राँची, दिनांक – 10/11/2022

।। आम सूचना ।।

झारखण्ड मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2022 के विचारार्थ प्रारूप पर आपत्ति आमंत्रण हेतु

संख्या–परि०वि०–145/2007 (पार्ट)–.............परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या–821, दिनांक–10.08.2021 द्वारा झारखण्ड मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2021 अधिसूचित की गई है। उक्त अधिसूचना के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में दायर वाद संख्या–W.P.(C) No.-5460/2021, Jharkhand Bus Owner's Association through its president v/s The State of Jharkhand and Others दायर किया गया है। उक्त वाद के संबंध में माननीय विद्वान महाधिवक्ता से परामर्श प्राप्त किया गया है।

विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त परामर्श के आलोक में राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तावित विनिर्दिष्ट शुल्कों में वृद्धि करने संबंधी प्रारूप के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रभावित व्यक्तियों से आपत्ति/अभ्यावेदन आमंत्रित किया जाता है, जिसपर विचारोपरान्त शुल्क का निर्धारण करते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–211 के तहत अंतिम रूप से अधिसूचना जारी किया जाएगा :–

1. **संक्षिप्त नाम एवं परिचय :–**

   (i) यह नियमावली झारखण्ड मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2022 कहा जा सकेगा।

   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

   (iii) यह झारखण्ड राज्य में गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत माना जायेगा।

2. **(क) मोटरगाड़ी अधिनियम, 1988 के अध्याय–II के अन्तर्गत झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली, 2001 के नियम 6 के अधीन देय शुल्क निम्नवत संशोधित किया जाता है :–**

(i)	झारखण्ड मोटर गाड़ी नियमावली 2001 के नियम 4 के तहत प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति में स्वीकृति के लिये निर्धारित जाँच शुल्क को विलोपित किया जाता है।
(ii)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली 2001 के नियम 4(2) के तहत चालक अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु जाँच के लिए निर्धारित शुल्क को विलोपित किया जाता है।
(vi)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 20 के तहत अपील के लिये निर्धारित शुल्क 150.00 रूपये (अधिभार सहित) के स्थान पर केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–28(b) के आलोक में शुल्क 25.00 रूपये (अधिभार सहित) प्रतिस्थापित किया जाता है।

3. मोटरगाड़ी अधिनियम, 1988 के अध्याय–III के अन्तर्गत झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली, 2001 के नियम 26 के अन्तर्गत देय शुल्क निम्नवत संशोधित किया जाता है :–

(ii)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 30 के तहत संवाहक अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु निर्धारित शुल्क विलोपित किया जाता है।
(vi)	झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 37 के तहत अपील हेतु शुल्क 120.00 रूपये (अधिभार सहित) के स्थान पर केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–38(g) के आलोक में शुल्क 25.00 रूपये (अधिभार सहित) प्रतिस्थापित किया जाता है।

10/11/22

(राजेश कुमार शर्मा)
सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक– परि०वि०–145/2007(पार्ट)– 1737 राँची, दिनांक – 10/11/2022

प्रतिलिपिः–नोडल पदाधिकारी, परिवहन विभाग को राज्य के दैनिक अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

10/11/22

सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक– परि०वि०–145/2007(पार्ट)– 1737 राँची, दिनांक – 10/11/2022

प्रतिलिपिः–निर्गत शाखा/पी०एम०यू० कोषांग, परिवहन विभाग को विभागीय वेबसाईट एवं सूचनापट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

10/11/22

सचिव
परिवहन विभाग।